

सं. 36: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2025-26	2025	2026		
		अप्रै.	फर.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4	5
1. एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	28979.36	2481.41	2338.60	2594.87	2286.59
1.1 जमाराशियाँ	753.08	94.15	56.90	176.35	94.79
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	528.70	44.69	51.36	38.68	49.21
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	2652.01	203.44	265.99	440.22	238.63
1.4 उपहार	2594.81	290.89	202.09	290.00	270.44
1.5 दान	12.12	1.57	0.86	1.17	0.82
1.6 यात्रा	16437.99	1270.44	1307.03	1094.60	1157.91
1.6.1 बिज़नेस यात्रा	16.05			16.05	10.03
1.6.2 तीर्थयात्रा के लिए यात्रा	2.55			2.55	17.31
1.6.3 इलाज के लिए यात्रा	2.79			2.79	4.58
1.6.4 शिक्षा के लिए यात्रा (फीस, हॉस्टल का खर्च आदि सहित)	450.16			450.16	439.34
1.6.5 अन्य यात्रा (छुट्टियों की यात्रा और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन के भुगतान सहित)	623.05			623.05	686.65
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्चें	3539.04	397.97	266.18	389.78	328.73
1.8 चिकित्सा उपचार	58.55	5.08	4.21	3.91	3.37
1.9 विदेश में शिक्षा	2309.74	163.56	175.68	151.71	134.75
1.10 अन्य	93.30	9.61	8.30	8.45	7.94

नोट: (i) 'शिक्षा के लिए यात्रा' (शिक्षा हेतु यात्रा) आइटम के तहत उन लेन-देन को शामिल किया जाता है जिनमें कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करता है, जबकि 'विदेश में पढ़ाई' (विदेश में पढ़ाई) आइटम के तहत उन लेन-देन को शामिल किया जाता है जिनमें कोई व्यक्ति विदेश यात्रा किए बिना दूर से ही शिक्षा सेवाएँ लेता है, जैसे विदेश में कॉरैस्पोंडेंस कोर्स की फीस। (ii) 'इलाज के लिए यात्रा' (इलाज के लिए यात्रा) आइटम के तहत उन लेन-देन को शामिल किया जाता है जिनमें कोई व्यक्ति मेडिकल सेवाओं के लिए विदेश यात्रा करता है, जबकि 'इलाज' (इलाज) आइटम के तहत उन लेन-देन को शामिल किया जाता है जिनमें कोई व्यक्ति विदेश यात्रा किए बिना दूर से ही मेडिकल सेवाएँ लेता है।